

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संघिका संख्या-7/पर्या0प्रदू0(वाद)-18/2019-3223 व0प0, राँची दिनांक- 21.8.19

औद्योगिक कार्यकलापों, निर्माण कार्यकलापों, जेनरेटर सेटों, लाउड स्पीकरों, सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों, म्यूजिक सिस्टम, वाहनों के हॉर्नों एवं अन्य यांत्रिक उपकरणों के कारण सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ता परिवेशीय शोर अस्पताल, शिक्षण संस्थानों एवं न्यायालय के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करता है तथा मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है।

2. राज्य सरकार एतद् द्वारा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के नियम-3(2) एवं नियम-3(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के परिसर से 100 meters की दूरी के अंदर पड़ने वाले क्षेत्र को Silence Area/Zone घोषित करती है।

3. परिवेशीय वायु की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखे जाने हेतु Silence Area/Zone में ध्वनि उत्सर्जन के लिए The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के अंतर्गत निर्धारित निम्न मानक लागू रहेंगे :-

SCHEDULE

see rule 3(1) and 4(1)

Ambient Air Quality Standard in respect of Noise

| Area Code | Category of Area/Zone | Limits in dB(A) Leq* | |
|-----------|-----------------------|----------------------|------------|
| | | Day Time | Night Time |
| (D) | Silence Zone | 50 | 40 |

Note:- 1. Day time shall mean from 6.00 A.M to 10.00 P.M.

2. Night time shall mean from 10.00 P.M to 6.00 A.M.

31

4. The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के नियम-2(c) के तहत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-2128 दिनांक-14.06.2019 द्वारा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार घोषित किए जा चुके हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(ए० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-7/पर्या०प्रदू० (वाद)-18/2019-3223 व०प०, राँची दिनांक- 21.8.19
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुरोध है कि गजट की 100 अतिरिक्त प्रतियाँ प्रकाशनोपरान्त उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-7/पर्या०प्रदू० (वाद)-18/2019-3223 व०प०, राँची दिनांक- 21.8.19
प्रतिलिपि:-सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी नगर पुलिस उपाधीक्षक/ सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-7/पर्या०प्रदू० (वाद)-18/2019-3223 व०प०, राँची दिनांक- 21.8.19
प्रतिलिपि:-सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव

ML

ज्ञापांक-7/पर्या0प्रदू0 (वाद)-18/2019- 4081 व0प0, राँची दिनांक- 22/10/2019
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची एवं सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-7/पर्या0प्रदू0 (वाद)-18/2019- 4081 व0प0, राँची दिनांक- 22/10/2019
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक-1851 दिनांक-06.09.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव